फर्द अहकाम

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

कमलेशी बनाम रामखिलाडी उर्फ खिलाडी वगै0

किस्म मुकदमा– दावा

मु0नं0– 113/2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02.08.2023 | पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा0 पत्र 07 रूल 11 जा0दी0 पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस प्रा0 पत्र का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया कि सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 09 मे वर्णित प्रावधानों के तहत दानपत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है न कि राजस्व न्यायालय को इसलिए वादीया का वादपत्र खारिज किया जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि विवादित भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जिस पर वादीगण का जन्म से ही हक एवं अधिकार है उक्त भूमि को दानपत्र करने का प्रतिवादी संख्या 1 को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद सुनन का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। इसलिए प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र आर्डर 07 रूल 11 व धारा 9जा0दी0 खारिज फरमाने किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादियागण द्वारा वादपत्र में प्रश्नगत भुमि के संबंध में उपपंजीयक बहरावण्डा के समक्ष किए गए दापत्र दिनांक 09.03.2021 को शून्य एवं बेअसर घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। सिविल प्रकिया संहित की धाराओं में वर्णित प्रावधानों के तहत दापत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, इसलिए यह वादपत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः दावा वादियागण बिना क्षेत्राधिकार का होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय (दौसा) | |